"विजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 251 ] रायपुर, सोमवार, दिनांक 30 सितम्बर 2002—आश्विन 8, शक 1924

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 30 सन् 2002)

### छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय ( संशोधन ) विधेयक, 2002

**छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय ( संशोधन ) अधिनियम, 1973 को संशोधित करने हेतु विधेयक.**

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2002 है. **संक्षिप्त नाम प्रारंभ.**

(2) यह अधिनियम ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राजपत्र में नियत करें.

2. छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 20 की उपधारा (1) के खण्ड (उन्नीस) का लोप किया जाए. **धारा 20 में संशोधन.**

# उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्तमान परिस्थितियों में धारा 20 की उपधारा (1) के खण्ड (उन्नीस) में उल्लिखित उपबन्ध असुसंगत हो गए हैं. अतएव राज्य सरकार ने यह विनिश्चित किया है कि उक्त उपबंध का लोप किया जाना चाहिए

2. , अत: यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर :
तारीख : 25 सितम्बर, 2002

**सत्यनारायण शर्मा**
भारसाधक सदस्य

# उपाबंध

**धारा 20 उपधारा ( 1 ) समूह-स का खण्ड ( उन्नीस ) का सुसंगत उद्धरण**

(उन्नीस) पांच प्रतिनिधि जो विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रीकृत स्नातकों द्वारा अपने में से निर्वाचित किए जाएंगे;

**भगवानदेव ईसरानी**
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा ,

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.